कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

कमांक 106 /
दो–15–3 / 90

रीवा, दिनांक 13 / 05 / 2026

माननीय रजिस्ट्री के आदेश कमांक 327 / गोपनीय / 2026 / दो–2–1 / 2026 जबलपुर दिनांक 03.04.2026 के द्वारा श्री संजय वर्मा, जिला एंव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश का स्थानांतरण जिला स्थापना भोपाल होने तथा उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने के फलस्वरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर–02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर–03 में दर्शित सूची अनुसार विचाराधीन बंदियों से संबंधित सत्र प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर–04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता हैः–

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई	प्रकरण का प्रकार एवं सूची कमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला एंव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)	ST-No. 1 to 27	श्री रामसिंह कनौजिया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

Sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 2520 /
दो–15–3 / 90

रीवा, दिनांक 13/05 / 2026

प्रतिलिपिः–

1. श्री रामसिंह कनौजिया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)।
2. जिला एंव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिरमौर।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0 / डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

13/5/26
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)